

सं.11014/01/2021-रा.भा.(प.)

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-2 भवन, चौथा तल,
जय सिंह रोड़, नई दिल्ली -110001
दिनांक: 30 अप्रैल, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में वर्ष 2020-21 में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना।

केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना से बढ़ाया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। विभाग की प्रमुख योजनाओं के तहत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 25 मार्च, 2015 के संकल्प सं.11034/48/2014-रा.भा.(नीति) एवं समय-समय पर जारी संशोधन के अनुपालन में केन्द्र सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना चलाई जा रही है।

2. योजना का उद्देश्य

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए आवधिक हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं। केन्द्र सरकार के कार्मिकों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि राजभाषा में लेख लिखने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जा सके और पाठकों को अच्छे लेख पत्रिकाओं में पढ़ने के लिए उपलब्ध हो सकें।

3. पात्रता

- (क) केन्द्र सरकार के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक।
- (ख) लेख किसी भी सरकारी संस्था की पत्र-पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) में प्रकाशित होने चाहिए।
- (ग) हिंदी भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'क' या 'ख' भाषाई क्षेत्र में स्थित हो।
- (घ) हिंदीतर भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' भाषाई क्षेत्र में स्थित हो।
- (ङ) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आये हुए पुरस्कार विजेताओं को आने - जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी।

4. पुरस्कार

विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नलिखित नकद पुरस्कार के साथ-साथ शील्ड एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किये जायेंगे।

	हिंदी भाषी	हिंदीतर भाषी
प्रथम पुरस्कार	- 20,000/-रू.	- 25,000/-रू.
द्वितीय पुरस्कार	- 18,000/-रू.	- 22,000/-रू.
तृतीय पुरस्कार	- 15,000/-रू.	- 20,000/-रू.

5. मूल्यांकन प्रक्रिया

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने स्तर पर तीन-तीन लेखों का चयन करेगा। इस चयन के लिए हिंदी प्रभारी सयुक्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। मंत्रालय/विभाग इन चयनित लेखों को अनुलग्नक 'क' में दिए गए प्रपत्र में विवरण सहित राजभाषा विभाग को भेजेंगे। राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त लेखों का मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा करवा कर हिंदी व हिंदीतर भाषियों के लिए तीन-तीन पुरस्कारों का चयन करेगा।

6. समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस योजना का अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में तथा सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार करें।

7. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वर्ष 2020-21 में छपे लेखों में से, पैरा 5 में दी गई चयन मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा चयनित लेख मूल पत्रिका के साथ 31 मई, 2021 तक राजभाषा विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

8. पुरस्कार जीतने के बारे में सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के सेवा विवरणी में भी समुचित उल्लेख किया जाए।

मोहन लाल वाधवानी
निदेशक (पत्रिका)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग को सूचना एवं/आवश्यक कार्रवाई हेतु यह भी अनुरोध है कि इस, उपक्रमों तथा बैंकों आदि की जानकारी तथा, कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में ला दें एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।
2. राष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली,
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली,
4. प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली,
5. मंत्रिमंडल सचिवालय नई दिल्ली,
6. लोक सभा सचिवालय नई दिल्ली,

7. राज्य सभा सचिवालयनई दिल्ली ,
8. संघ लोक सेवा आयोगनई दिल्ली ,
9. भारत के निर्वाचन आयोगनई दिल्ली ,
10. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालयनई दिल्ली ,
11. नीति आयोगनई दिल्ली ,
12. निदेशकनई दिल्ली ,केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ,
13. निदेशकनई दिल्ली ,केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ,
14. संसदीय राजभाषा समितिनई दिल्ली ,
15. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारीएकक/अनुभाग/डेस्क/
16. वरिष्ठ निदेशक तकनीकी ,राष्ट्रीय सूचना केंद्र ,राजभाषा विभागअनुरोध है कि - इस ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दे ।
17. राजभाषा विभाग के समस्त क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय ।

उत्कृष्ट लेखों के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना 2020-21

चेक लिस्ट

क्र.सं.	सम्मिलित कागजात की सूची	हाँ	नहीं
1.	केंद्र सरकार में कार्यरत		
2.	सेवानिवृत्त कार्मिक		
3.	सेवानिवृत्त कार्मिक के संदर्भ में सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र या इससे संबंधित कागजात		
4.	लेख किसी भी सरकार संस्था की पत्र-पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021) में प्रकाशित		
5.	पूर्ण रूप से भरा हुआ अनुलग्नक 'क'		
6.	हिंदी भाषी लेखक जिनका घोषित निवास स्थान "क" या "ख" भाषाई क्षेत्र में हो, से संबंधित प्रमाण पत्र		
7.	हिंदीतर भाषी लेखक जिनका घोषित निवास स्थान "ग" क्षेत्र में हो, से संबंधित प्रमाण पत्र		
8.	पुरस्कार योजना में भेजे जाने वाले प्रकाशित लेख (अधिकतम दो) की फोटोकापी		
9.	मूल पत्रिका जिसमें लेख प्रकाशित हुआ है		
10.	लेख की मौलिकता का प्रमाण पत्र		

(अनुलग्नक "क")

क्र.सं.	नाम (हिंदी एवं अंग्रेजी में)	पदनाम	आधार कार्ड नंबर	श्रेणी (हिंदी भाषी/हिंदीतर भाषी)	कार्यालय का पता	लेख का विषय	पत्रिका का नाम	पत्रिका का अंक	संपर्क सूत्र फोन, ईमेल आदि	टिप्पणी
1.										
2.										

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
कार्यालय का नाम
दूरभाष नं./मोबाईल नं.